

दावा सं. 20/2012

तारीख
हस्ताक्षर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स अज
श्रीकलाल vs श्रीतर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

7/11/25

पत्रावली पेशा हुई। वादी-जामिनी
अनुपस्थित। वादी आधिकारिक अनुवा
वादी एवं वादी आधिकारिक को निपटारा
तीन बार भावनें लगाई गई। परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। पत्रावली में वादी
एवं वादी आधिकारिक के उपस्थित नहीं
आने से न्यायालय में पुनः एक बार भावना
लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। अतः वादी उक्त उक्त बाद
अन्तर्गत धारा 88, 53.54 व 188 शब्द
काश्तकारी आधिकारिक को अदम्य हार
अदम्य वादी के आधिकारिक अदम्य हार
निर्णय सैरकालस पुनः आया रिक्ति
पत्रावली जारी है।

पत्रावली फौजल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो तबका नम्बर से कम
हो।


7/11/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू लाल पुत्र देबी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
2. पप्पू लाल पुत्र देबी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रूपी पुत्री देबी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र मूला माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
2. अमरा पुत्र मूला माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
3. नारायण पुत्र भैरू माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
4. पेमा पुत्र भैरू माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
5. बदाम पुत्री भैरू माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
6. बबलू पुत्री भैरू माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
7. नोजी बेवा भैरू माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
8. सोसर बेवा भैरू माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
9. लादू पुत्र बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
10. नन्दू पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
11. लाली पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
12. गल्लू पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
13. सुगना पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
14. देउ पत्नी बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
15. पोखर पुत्र रूपा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
16. प्रहलादराय पुत्र जयशंकर त्रिवेदी ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा,
विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 20/2012 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 07.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा